रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 291] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 1986/अषाढ़ 27, 1908
No. 291] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 1986/ASADHA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1986

अधिसूचना

का. आ. 428(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 98(अ)/आईडीआर/29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :

1. अनुसूची 4 में, विद्यमान प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात :—

'11. जम्बो रोलो से प्रकाश प्रभाव ग्रहण सामग्री को काटना/पकाना (कनफैक्शनिंग)"।

2. केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (2) के अनुसरण में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसकी समाप्ति के पश्चात् किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामी, जो उपक्रम पहले उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11क और 13 के प्रवर्तन से छूट प्राप्त था और जो इस अधिसूचना के आधार पर इस प्रकार छूट प्राप्त नहीं रहा है, ऐसे उपक्रम का कारोबार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसरण में के सिवाए और, राज्य सरकारों की दशा में, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुज्ञा के अधीन और उसके अनुसरण में के सिवाए, नहीं चलाएगा।

[फा. सं. 10/115/84 - एल. पी.]

बी. सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 18th July, 1986

NOTIFICATION

S.O. 428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)|IDRA|29B|73|1, dated the 16th February 1973, namely :—

In Schedule IV, after the existing entry No. 10, the following entry shall be added, namely :—

"11. Slitting|Confectioning of Photo-sensitized material from Jumbo Rolls".

2. In pursuance of sub-section (2) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking which was previously exempted from the operation of sections 10, 11, 11A and 13 of the said Act and which is not so exempt by virtue of this notification, shall carry on the business of such undertaking except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government, and in the case of State Governments, except under and in accordance with the previous permission of the Central Government.

[File No. 10|115|84-L.P.]

B. SAHAY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986